



No. 1166/NFA-2023/40.21/MCT Phase – III (13) (4th Cycle)

Date: 01.09.2023

To

The Chief Secretary
All State/UTs

Sub: Nomination of Indian Forest Service (IFS) officers for Mid-Career Training (MCT) Phase – III (13) programme – regarding.


Ref: IGNFA Letter No. 984/NFA-2023/40.21/MCT Phase – III (13) (4th Cycle) dated: 04.08.2023

Sir,

Your kind attention is invited to IGNFA letter cited above. The Mid-Career Training (MCT) Phase – III (13) programme for the IFS officers of 2014 and 2015 YoA (7 – 9 years of service) and the IFS officers of 2011, 2012 and 2013 YoA, was scheduled from 25 September to 20 October 2023. In this regard it is to inform you that, in view of some emergent circumstances, **the scheduled program from 25 September to 20 October 2023 has been postponed.** The revised schedule of the program shall be intimated in due course.

The Inconvenience caused is regretted.

Yours faithfully


(Bharat Jyoti)
Director, IGNFA

Copy for information and necessary action to:

1. The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Forests) of all States/UTs
2. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) of all States/UTs.
3. The Deputy Inspector General of Forests (RT), Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India, New Delhi.
4. The officers concerned through the Controlling Authority for further action.



पत्र सं. 1166/रा.व.अ.-2023/40.21/40.21/एमसीटी फेज - V (18) (चक्र-4)

दिनांक: 01.09.2023

सेवा में,

सभी राज्यों/ सं.शा.क्षेत्रों के
मुख्य सचिव

विषय मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमसीटी) के फेज - III (13) हेतु भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) अधिकारियों के नामांकन के संबंध में।


संदर्भ: इ.गां.रा.व.अ. का पत्र सं. 984/रा.व.अ.-2023/40.21/एमसीटी फेज - III (13) (चक्र-4) दिनांक: 04.08.2023।

महोदय,

कृपया इस अकादमी के उपर्युक्त पत्र का संदर्भ लें। 2014 एवं 2015 आबंटन वर्ष (7-9 वर्ष की सेवा) के भा.व.से. अधिकारियों और 2011, 2012 एवं 2013 आबंटन वर्ष के भा.व.से. अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग (MCT) फेज - III (13) कार्यक्रम का आयोजन 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2023 तक किया जाना था। इस संबंध में आपको सूचित किया जाना है कि कुछ आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजन का संशोधित विवरण निकट भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा।

असुविधा के लिए खेद है।

भवदीय,


(भारत ज्योति)

निदेशक, इ.गां.रा.व.अ.

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति -

1. सभी राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (वन)।
2. सभी राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)।
3. वन उप महानिरीक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. संबंधित अधिकारियों को उनके नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु।